

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: पं.14(1)मं.मं./2012

जयपुर, दिनांक: 18/10/2019

—:आदेश:—

मंत्रिमण्डल की आज्ञा 79/2019 दिनांक 05.08.2019 की पालना में राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:—

“राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति ‘दस हजार रुपये’ के स्थान पर अभिव्यक्ति ‘तीस हजार रुपये’ प्रतिस्थापित किया जाता है।”

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 181900704 दिनांक 04.08.2019 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.डी. संख्या 19003852 दिनांक 07.10.2019 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव